Indian Journal of Economics, Commerce and Management (IJECM)
ISSN:
Website: https://www.economicsandcommerce.in/
Volume 1; Issue 1; January to March 2025; Page No. 18-25

मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के व्यवसाय एवं अर्थ का अध्ययन

डॉ0 कमलेश पाल
सहायक प्राध्यापक
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उत्तर प्रदेश
Email: kamalesh.alld@gmail.com

सारांश

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडो की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीनकाल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी। जिसकी राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था।[2] गोंड शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति के साथ इनकी जीवन शैली पहनावा और आराधना की पद्धतियों को आधार बनाकर इनकी उत्पत्ति के बारे में अद्यतन समाजशास्त्रियों द्वारा मंथन एवं विचार किया जाता रहा है। कुछ का दृष्टिकोण तो इनके पहनावे के आधार पर है तो, कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता इनके प्रवास के मिलते क्रमिक विकास के आधार पर है। इतिहास का प्रमुख आधार साहित्य हुआ करता है और भारतीय साहित्य मिथकों से भरा पड़ा है पुराणों में इतिहास का लेखन ही मिथकीय शैली में हुआ है। भारतीय जनजातियों के सन्दर्भ में अनेक मिथक या पुराकथायें प्रचलित हैं।

मुख्य शब्दः मध्य प्रदेश, गोंड जनजाति, व्यवसाय, एवं अर्थ व्यवस्था

मनुष्य अपने परिवेश की उपज है, उसे बेहतर बनाने के लिये उस परिवेश को बदलना होगा जिसमें वह पलता–बढ़ता है और इसी परिवेश को आधुनिक समाज ने विकास शब्द से विभूषित किया है, परन्तु आधुनिक विकास का जो मानदंड है उसे जनजातीय समाज स्वीकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है परन्तु हमें उसका विकास करना है और उसे राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है लेकिन यह जनजातीय समाज राष्ट्र मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहता है। उसे न तो किसी प्रकार का बंधन चाहिए और न ही अनुदान और कल कारखाने। जनजातीय समाज की न्यूनतम आवश्यकताएं विकसित समाज के लिये चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो उपभोक्ता और मीडिया संस्कृति से कोसों दूर प्रकृति के गोद में अमन चैन की जिन्दगी व्यतीत कर रहा है। परन्तु आज भी जनजातीय समाज अपनी परम्परा में

जीवन जी रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं के बावजूद भी जनजातीय समाज अपनी परम्परा में रहने को दृढ़ है जिसके कारण उनका विकास आधुनिक तरीके से नहीं हो पा रहा है। प्राचीन संस्कृति में रहने को अभ्यस्थ जनजातीय समाज अभी भी रूढ़िवादिता एवं परम्परावादी सोच रखकर सभ्य समाज से कटा हुआ रहता है। शिक्षा विहीन होने के कारण अंधकारमय, परम्परावादी जीवन जीने के लिए विवश इनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया है। शासन द्वारा इन जनजातियों को शिक्षित करने के उद्देष्य से चलाई गयी योजनायें इन तक पूरी तरह से नहीं पहुच पायी हैं। कुछ जनजातियॉ जो शहरो से लगी तथा सभ्य समाज से जुड़ी हुई हैं उन्ही को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। इनमें भी कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनके बारे में इनको अभी भी ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधायें भी इन तक पूरी तरह से नहीं पहुच पायी हैं। शासन स्तर से स्वास्थ्य सुविधाओं को इन तक पहुचाने के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है लेकिन ज्यादातर शासकीय कर्मचारी इन तक नहीं पहुच पाते हैं। इसी प्रकार जनजातीय लोग भी इन योजनाओं के लाभ के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। आज भी जनजातियां किसी प्रकोप आदि के लिए ग्रामी देवी देवता का क्रुद्ध होना मानते है। इसके लिए वे जादू टोना, भूत–प्रेत आदि पर विश्वास करते हैं। पूरी दुनियां के बदलते स्वास्थ्य शिक्षा एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को देखकर न तो इनके मन में कोई आक्रोश है और न ही कोई प्रतिक्रिया। पंचायतो में आरक्षण की व्यवस्था के कारण जनजातियों के लोग विभिन्न पदो पर निर्वाचित हुए लेकिन इन जनजातियों को पंचायतों की कार्यप्रणाली इनके अधिकार और दायित्व की जानकारी का अभाव है। परिणामस्वरूप ये इस दिशा में निष्क्रिय और असमानता तथा शोषण को स्वीकार करते हुए भाग्य और जीवन चक्र के नाम पर एक अलग ही जीवन दर्शन को स्वीकार किए रहते हैं।

यह निर्विवाद सत्य है कि जनजाति समाज गरीबी और सामाजिक अक्षमता के दुष्चक्र में लिप्त एक समूह है। सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ से ही इनके विकास के अनकूल नही रही हैं और इस वर्ग ने भी इन व्यवस्थाओं का विरोध करने की अपेक्षा मौन स्वीकृति को ही अधिक श्रेयस्कर माना है। अध्ययन हेतु इस क्षेत्र में चयन का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि पूर्णरूपेण प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस क्षेत्र विशेष में गोंड जनजाति का एक भाग अब भी प्रकृति पर निर्भर रहकर अपनी पंरपराओं और रीति रिवजों के वशीभूत रहकर जीवन–यापन कर रहा है, जब कि दूसरा भाग न्यूनाधिक परिवर्तन के साथ नयी जीवन शैली अपनाता हुआ दिखाई देता है। जहां गोंड जनजाति के जीवन जीने के पारंपरिक तरीकों में बाह्यय तत्वों के कारण इनके मूल्य एवं प्रतिमान बदल गये है वही इससे इनकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाएं भी प्रभावित हुयी हैं। इनके बदले प्रतिमान संस्कृति और शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संस्थाओं को कैसे और किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं एवं इसकी दिशा क्या है, का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है।

आखेट युग से संघर्ष करता हुआ मानव आधुनिक युग तक अपनी सोच और परिस्थितियों को वश में करके अपने जीवन को आकार देता रहा। कहीं वह विकास की अनन्त उंचाईयो पर जा पहॅुचा तो कहीं आज भी पर्वतों और वनों मे अपने मूल्यों, परम्पराओं व संस्कारों मे सिमटा हुआ है। यह एकाकी

जीवन मुख्यधारा से कोसों दूर है और आदिम जाति, जंगली लोग, आदिवासी, वनवासी आदि नामों से जाने जाते हैं। आदिवासी, आदिमजातिय, कबीली आबादी एवं जनजाति सब अंग्रेजी भाषा के 'एबोरिजनल' 'नेटिव' ट्रावलस या ट्राइब शब्दों के पर्याय हैं।[1] भारत में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अनेक जनजातियां पाई जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध होने के बाद जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाता है।[2] मानवशास्त्रियों द्वारा क्षेत्रीय एवं शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें परिभाषित किया गया। सामूहिकतावादी संबन्धों पर आधारित जनजातीय समुदाय अपने प्राकृतिक वातावरण में अपनी परम्पराओं, संस्कृति और मूल्यों को सहेजते हुए अपनी पृथक पहचान बनाये हुए हैं। मध्य प्रदेश 'जनजाति' बाहुल्य प्रदेश है जिसमें भारत की अधिकांश जनजातियां निवास करती हैं। प्रदेश में लगभग 1,22,33,474 अनुसूचित जनजातियों के लोग निवास करते हैं, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.3 प्रतिशत है।[3] जिसमें गोंड जनजाति की कुल जनसंख्या 43,57,918 है, और इसमें 21,90,962 पुरुष तथा 21,66,956 महिलाएं हैं। इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुल जनसंख्या 6,41,421 है। जिसमें से गोंड जनजाति की जनसंख्या 5,30,485 है और इसमें 2,66,259 पुरुष तथा 2,64,226 महिलाएं हैं। अधिकांश जनजातीय परिवार कृषि एवं मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इसमें से कुछ जनजातियां शिल्पकारी तथा वनोपज संग्रह कर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। गोंड जनजातीय समुदाय की अपनी–अपनी सामाजिक, प्रशासनिक व्यवस्थायें हैं, उनके संगठन है।[4] राज्य शासन ने केन्द्र शासन की अनुशसां पर पचांयतीराज की घोषणा की। पचांयतीराज की घोषणा से ग्राम पंचायतों को बहुत से अधिकार प्राप्त हुए और उनका अपना एक सामाजिक–राजनीतिक अस्तित्व बना। आज पंचायतीराज व्यवस्था द्वारा अनुसूचित जनजातियां समाज में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। पंचायतीराज व्यवस्था में अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किये गये हैं। इस व्यवस्था से सभी वर्गो की समान भागीदारी पंचायतों में उभरकर आयी है जिसका परिणाम यह हुआ कि पंचायतीराज संस्थाओं में सभी वर्गो की भागीदारी से प्रत्येक वर्ग अपने राजनीतिक अस्तित्व को समझा और जागरूक हुआ है। जनजातीय समुदाय भी इस चेतना से अछूता नहीं रहा। समय–समय पर विभिन्न जनजातियों ने अपनी राजनीतिक योग्यता भी प्रदर्शित की है।

विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे एक आकर्षक गुलदस्ता है, हमारा भारत, और भारत की संस्कृति में मध्यप्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। मध्यप्रदेश जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौन्दर्य और मनमोहक सुगन्ध चारों ओर फैल रहा है। यहां के जनपदों की आबोहवा में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोकसमूहों और जनजाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रुप से फूटती रहती है। यहां का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनन्द रस घोलकर स्मृति के रुप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुंग–उत्तुंग, शैल शिखर, विन्ध्य सतपुड़ा, मैकल–कैमूर की उपत्यिकाओं के अंतर से गूंजते अनेक

पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिंध, चम्बल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती आदि सर–सरिताओं के उद्गम मिलन की मिथकथाओं से फूटती सहस्त्र धारायें यहां के जीवन को आप्लावित ही नहीं बल्कि परितृप्त भी करती हैं। 1 नवम्बर 1956 को गठन हुए मध्यप्रदेश में भोपाल को उसकी राजधानी बनाया गया। वर्तमान स्वरुप में मध्यप्रदेश 1 नवम्बर सन् 2000 को अस्तित्व में आया, जब छत्तीसगढ़ राज्य का बंटवारा हो गया। मध्य प्रदेश राज्य देश के मध्य में स्थित है, इसी कारण मध्य प्रदेश को भारत का ह्रदय स्थल भी कहा जाता है। 1 नवम्बर, 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ से अलग होने के पश्चात् इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती हैं। राज्य का क्षेत्रफल तीन लाख, आठ हजार, दो सौ, बावन (3,08,252) वर्ग कि0 मी0 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 60,348,000 है। मध्य प्रदेश विभिन्न जनजाति के लोगों से अच्छादित है। विभिन्न आदिवासी समुदायों के अन्तर को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो कि न सिर्फ उनके आनुवांशिकी जीवनशैली और सांस्कृतिक परम्पराओं पर आधारित है बल्कि उनके सामाजिक–आर्थिक संरचना, धार्मिक विश्वास, भाषा और बोली पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समूह विकास की मुख्य धारा से अलग–थलग रहे हैं जिसकी वजह से विभिन्न भाषायी एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सुरक्षित रही है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1,22,33,474 है। जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.3 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में 46 चिन्हित अनुसूचित जनजातियां हैं जिसमें से तीन को प्रदेश में विशेष प्रांरभिक आदिवासी समूह माना जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आदिवासी समूह गोंड, वैगा, भील, कोरकू, मारिया, हलवा, कोल, भारिया और सहरिया हैं। धार, झाबुआ और मंडला जिलों में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनजातियां रहती हैं। खरगोन, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी और शहडोल जिलों में 30 से 50 प्रतिशत तक जनजातियां रहती हैं।

गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडो की है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीनकाल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी। जिसकी राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था। गोंड शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति के साथ इनकी जीवन शैली पहनावा और आराधना की पद्धतियों को आधार बनाकर इनकी उत्पत्ति के बारे में अद्यतन समाजशास्त्रियों द्वारा मंथन एवं विचार किया जाता रहा है। कुछ का दृष्टिकोण तो इनके पहनावे के आधार पर है तो, कुछ समाजशास्त्रियों की मान्यता इनके प्रवास के मिलते क्रमिक विकास के आधार पर है। इतिहास का प्रमुख आधार साहित्य हुआ करता है और भारतीय साहित्य मिथकों से भरा पड़ा है पुराणों में इतिहास का लेखन ही मिथकीय शैली में हुआ है। भारतीय जनजातियों के सन्दर्भ में अनेक मिथक या पुराकथायें प्रचलित हैं। गोंड जनजातियों की भी उत्पत्ति संबंधी मिथकों की एक श्रृंखला है। गोंड स्वयं को गोंड नही अपितु 'कोयतोर' कहते हैं और गोंडों की अनेक उपजातियां है। गोंड शब्द श्ज्ञव्छक्श (कोंड) का हिन्दी रुपान्तर है जिनके लिए ''कोयतोर' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'हिसलप' के अनुसार–गोंड

या 'गुण्ड' शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द तेलगू के कोण्डा से निकला है जिसका अर्थ पर्वत होता है। इस प्रकार गोंड शब्द को पर्वत में रहने वाले का पर्यायवाची माना जाता है। घनश्याम गुप्त (1978) इस उत्पत्ति को तर्कशून्य मानते हैं और लिखते हैं कि अनेक अन्य शब्द जैसे–गंडा (जंगल), गंडिया (पत्थरों के ढेर के रूप में पूजे जाने वाले देवी देवता) या सुअरबलि। ये तीनों ऐसे प्रतीकात्मक शब्द हैं जो जंगल के लिए प्रयुक्त होते हैं। भारत में असंख्य जन हैं तथा उतनी ही बनवासी जातियां हैं, जो प्रमुख निवासी हैं। ये अपने देवी देवताओं को गड़िया रुप में पूजते हैं और सुअर पालते हैं या उसकी बलि देते हैं अर्थात् गुडाधारी हैं और इसी कारण ये गोंड कहे जाते हैं। रशल और हीरालाल (1935) के अनुसार गोंड और उनकी उपजातियां स्वयं की पहचान ''कोय' या ''कोयतोर' शब्द से करती हैं जिसका तात्पर्य मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य है। ग्रियर्सन (1931) का कथन है कि मध्य भारत से लेकर पूर्वी भागों और हैदराबाद तक जहां कहीं भी गोंड अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने को 'कोया' या 'कोयतोर' कहते हैं। 'रशल और 'हीरालाल' तो दक्षिण से उत्तर की ओर गोडों के प्रवास का मार्ग बताते हैं। इनके अनुसार ये गोदावरी नदी से चांदा, इन्द्रावती, छत्तीसगढ तथा वेनगंगा से होकर सतपुड़ा क्षेत्र में आये। तेलगू लोगों से इनका संपर्क होने पर उन्होंने इन्हें गौंड़ नाम दिया होगा, जिसे इन्होंने अपने साथ लाये। मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का विस्तार सतपुड़ा रेंज के छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगावाद, सिवनी तथा नरसिंहपुर और मण्डला जिलों में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। प्राचीन भूगोल शास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्व के दो भू–भाग 'गोंडवाना लैण्ड' और 'अंगारा लैण्ड' के नाम से जाना जाता है। कालान्तर में गोंड जनजातियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने–अपने राज्य विकसित किये जिनमें से नर्मदा नदी वेसिन पर स्थित 'गढ़ मण्डला' एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा है। 'गोंडी' भाषा गोंडवाना साम्राज्य की मातृभाषा है। गोंडी भाषा प्राचीन पांच भाषाओं में से एक होने के कारण अनेक देशी–विदेशी भाषाओं की जननी रही है। गोंडी धर्म दर्शन के अनुसार गोंडी भाषा का निर्माण आराध्यदेव शंभूशेक के डमरू से हुई है जिसे 'गोएन्दाधिवासी'या गोंदवासी' कहा जाता है। अति प्राचीन भाषा होने के कारण गोंडी भाषा अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है। गोंडी भाषा की अपनी लिपि और व्याकरण है जिसे समय–समय पर गोंडी साहित्यकारों ने पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया है।[6] शारीरिक रचना का जहां तक प्रश्न है, गोंडों के बाल, चमड़ी और आँख की पुतली गाढ़े रंग की होती है, सिर मुख्यतः लम्बे तथा इनकी शीर्ष देशना कम होती है क्योंकि इनके सिर बहुत संकरे होते है। मस्तक भी संकरा होता है, चेहरा सामान्य रूप से चौड़ा दिखता है और ठोढ़ी संकरी तथा नुकीली होती है। चेहरे में होंठ विशेष प्रकार का मोटा तथा सामने की ओर निकला होता है। आँखों में ऊपरी पलक छुपी सी रहती है तथा इनकी ऊँचाई मध्यम से निम्न तक होती है। इनके पैर लम्बे, धड़ अपेक्षाकृत छोटे तथा गोंड लोग दुबले होने पर भी मजबूत होते हैं। प्रायः गोंड लोग काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते हैं किन्तु इनके अंग भद्दे दिखाई पड़ते हैं। इनके सिर के बाल काले और सीधे होते हैं किन्तु मुँह में दाढ़ी–मूँछ पर बाल कम होते हैं। इस प्रकार इनके मुख की आकृति मंगोलों से किन्तु रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ों से मेल खाती है। गोंड जनजातियों के कपाल देशना 74.04 से लेकर 77.80

तक पाई गई है तथा नासिका देशना 77.91 से लेकर 82.52 तक। कपाल और नासिका देशना दोनों ही हिन्दू धर्म के सदस्यों से अधिक है। सर सी0एस0 वेंकटाचार्य ने इन्हें प्राक्कद्रविड़ माना है। कैप्टन कोसीथ, के अनुसार गोंड जनजाति के रक्त में हिन्दू मिश्रण निश्चित् रूप से हुआ है। प्रायः गोंड जनजाति को तीन प्रकार से जाना जाता है। जिसमें पहला राजगोंड (खटोलिया), दूसरा रावणवंशी गोंड और तीसरा भोई वंशी गोंड होते हैं। राजगोंड को खटोलिया वंशी गोंड भी कहते हैं जिसमें यह प्रथा है कि ये लोग खाट पर नही बैठते हैं और खाना बनाकर कहीं दूर या घर के बाहर नही ले जाते हैं अर्थात् बाहर से आया हुआ (रास्ते चलकर) खाना ये लोग नहीं ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार रावण वंशी गोंड अपने को राजघराने से संबंधित मानते हैं और रावण तथा मेघनाद की पूजा करते हैं। रावण वंशी गोंड 'गोंड' समाज के राजाओं से संबंधित लोग होते हैं। इसी प्रकार मंडला के गोंड राजा अपने सिक्कों में 'रावणवंशी संग्रामशाह' अंकित करते थे। इसी प्रकार गोंड जनजाति में जो मुखिया होते थे उनके परिवार के लोग अपने को 'भोई' अर्थात् मुखिया वंश का मानते थे। गोंड जनजाति में जन्म में समय संस्कार अन्य समाज की तरह ही है। बच्चे के जन्म के छठें दिन छठी का कार्यक्रम होता है जिसमें उसी दिन बच्चे का नाड़ा काटते हैं और किसी जगह जमीन में उसको गाड़ देते हैं तदुपरान्त बच्चे की मॉ को अन्न आदि ग्रहण करने की इजाजत दी जाती है। बच्चे की छठी कार्यक्रम के बाद उसको तिलक आदि लगाया जाता है और उसी दिन बच्चे का नामकरण भी किया जाता है इसके बाद कर्णछेदन संस्कार एक साल बाद करते हैं। गोंड जनजाति में 12 देव होते हैं, जिसमें सात 'देव' और पांच 'भूमका' होते हैं। गोंड समाज में विवाह की जोड़ी विषम देव के रूप में बनाई जाती है क्योंकि इनमें समदेव में लड़की और लड़के को आपस में भाई–बहन मानते हैं अर्थात् जो गोंड एक देव की पूजा करते हैं, वे शादी दो देव या चार देव या छः देव के यहॉ करते हैं। इसी प्रकार एक देव को पूजने वाले तीन देव , पॉच देव और सात देव के यहॉ विवाह नहीं करते हैं। गोंड जनजाति में पहले लड़की को लड़के के यहॉ शादी के समय ले जाते थे लेकिन वर्तमान में लड़के को लड़की के यहॉ दूल्हा बनाकर ले जाते हैं। पुरानी परम्परा के अनुसार लड़का , लड़की के श्रृंगार (जेवर आदि) पहनकर लड़की के घर पहुॅचता है तत्पश्चात् हिन्दू परम्परा के अनुसार विवाह कार्यक्रम होते हैं। इसी प्रकार विवाह के समय भांवर की प्रथा हिन्दू समाज से भिन्न अर्थात् हिन्दू प्रथा में भांवर घड़ी की दिशा में होती है जबकि इनमें इसके विपरीत अर्थात् जिस दिशा में ग्रहों का चलना होता है अर्थात् प्रकृति के अनुसार भांवर घूमते हैं। इसी प्रकार शादी के समय 'कलश' दोनों तरफ से पीतल आदि के बर्तन में दीपक के रूप में आती है जिसमें कलश पूजा दोनों तरफ से होता है जिसे गोंडी समाज में 'कलश भांवर' कहते हैं। इसके बाद दूल्हा मंडप में जाता है और लड़का–लड़की की तरफ से आने वाले कलश में कुछ पैसे डालता है और लड़की चावल के दाने से लड़के को छुपकर मारती है और वापस चली जाती है। इसी बीच अन्य रिश्तेदार लड़के को तिलक लगाते हैं और लड़की की तरफ से कुछ रूपये आदि उपहार स्वरूप दान करते हैं। इसी क्रम में लड़की का भाई मंडप के ऊपर से छुपकर लड़के के ऊपर पानी डालता है तत्पश्चात् लड़का विजने (बॉस का बनाया गया) को मंडप पर फेंककर मंडप में से दो पत्तियों को तोड़कर वापस जनवासे में

चला जाता है। इसके बाद लड़की की तरफ से महिलायें लकड़ी के बर्तन (लहकोट) में बारातियों के लिए खाना आदि ले जाती हैं तत्पश्चात् लगुन की रस्म होती है। लगुन में हल्दी की एक गॉठ, एक सिक्का और थोड़ा सा चावल गुड़ के साथ पैक करके लड़की पक्ष को लडके की तरफ से दिया जाता है। इसी लगुन को भांवर के समय लड़के और लड़की को गॉठ बांधते है और भांवर की रस्म को पूरा करते हैं और आगे की रस्म हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार पूरी होती है और लड़की की विदाई हो जाती है। विदा होने के पश्चात् जब लड़की लड़के के यहॉ जाती है तो इसी लगुन से निकाली गयी हल्दी की गांठ को पीसकर चावल आदि की खिचड़ी बनाती है और करीबी रिश्तेदारों, परिवार वालों को खिचड़ी बनाकर लड़की परोसती है। जिसका आशय दुल्हन परिचय से होता है और इसके बदले में दुल्हन को सामान, पैसा रूपया आदि परिवार वाले, रिश्तेदार उपहार के रूप में भेंट करते हैं। गोंड जनजाति में मृतकों को दफनाने की प्रथा है जिसमें इनके दफनाने का एक निश्चित स्थान होता है। वर्तमान में इनमें मृतको को जलाने का प्रचलन भी शुरू हो गया है। मृत्यु के तीसरे दिन सीता संस्कार करते हैं जिसमें कुटकी के दाने को हल्दी के साथ कूटकर घर से बाहर तीन पत्थर रखकर पकाते हैं और अपने–अपने निर्धारित देवों के अनुसार भोग लगाते हैं। इसके कुछ दिन पश्चात् बड़ा काम करते हैं जिसे गोंडी समाज में चौतरा या देव–देवाई या हिन्दू प्रथा के अनुसार गंगा पूजन कहते हैं। इसमें परिवार के किसी भी व्यक्ति में मृतक व्यक्ति की आत्मा आती है और नदी के किनारे जाकर एक छोटा सा पत्थर लेकर जहॉ चौतरा बॉधा जाता है वहॉ उस खानदान के जितने व्यक्तियों को दफनाया जाता है उतनी गॉठ को चबूतरों पर रखकर पूजा पाठ करते हैं जिसमें सभी परिवार के लोग, रिश्तेदार आदि जितने व्यक्ति वहॉ मौजूद होते हैं पूजा पाठ करते हैं। गोंड जनजाति में वर्ष में दो बार पूजा करने का प्रचलन है जिसमें पहली बार जब धान की फसल आती है और दूसरी पूजा जब महुआ का फल तैयार होता है जिसमें इन दोनों फलों को अपने अपने निर्धारित देवों को चढ़ाकर पूजा करते हैं। गोंड जनजाति में मुख्य पूजा 'बड़ा देव की होती है। पंचमढ़ी के बड़ा महादेव नामक स्थान में प्राकृतिक शिवलिंग है कुछ लोग बड़ा महादेव को ही बड़ा देव मानते हैं। गोंड़ो में लोक कथा है कि पार्वती जी ने मूलागोंडनी का रूप लेकर शंकरजी को प्रसन्न किया था। मूलागोंड़नी की मूर्ति को पार्वती की मूर्ति मानकर पूजा की जाती है। इनकी मान्यता है कि बड़ादेव की कृपा से मृतक की आत्मा देवत्व में मिल सकती है। इसी प्रकार 'बड़ा देव का निवास स्थान 'साज' के वृक्ष में माना जाता है। ये लोग बड़ा देव की पूजा उस समय करते हैं जब धान की नई फसल तैयार होती है। बड़ा देव की पूजा में ये लोग गॉव के साज के वृक्ष से कुछ टहनियों को अपने–अपने घर लाते हैं और किसी स्थान पर गोबर से पुताई करके नारियल फोड़कर पूजा करते हैं। इसी प्रकार चंडी देवी की पूजा दीपावली से लेकर पूर्णिमा तक करते हैं जिसमें देवी के लिए 'मड़ई' बनाते हैं और उसमें देवी जी को बैठाकर मोर के पंखे को ढाल बनाकर घुमाते हैं और अपने–अपने मंत्र को जगाते हैं और चंडी माता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार इनमें मेघनाद की पूजा की जाती है जिसमें होली के समय मेघनाद की मूर्ति बनाकर सिर को शरीर से अलग करके पूरे शरीर में हल्दी लगाकर अपनी कमर में गमछा बांधकर 'अकड़ो वीरो–अकड़ो

वीरो' कहकर अपने देवत्व को जगाते हैं और मन्नत मांगते हैं। गोंड जनजातियों में अधिकतर स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति है ये सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए अपनी परम्पराओं और संस्कृति को बनाये रखते हैं। ये अपने थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं और अन्य जातियों से किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इनका निवास इन्हीं की परम्पराओं के अनुसार होता है। गोंड लोग मांसाहारी होते हैं मद्यपान इनमें व्याप्त गरीबी के प्रमुख कारण के रूप में ही है। हाल तक ये लोग 'झूम' कृषि करते थे तथा इन्हें सिंचाई का ज्ञान नहीं था। वर्तमान में ये लोग हल से खेती करने लगे हैं तथा सिंचाई आधुनिक तरीके से करने लगे हैं। गॉव के मुखिया को 'पटेल' अथवा 'मुकादम' तथा गॉव के चौकीदार को 'कोटवार' नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 'गोंड' गॉव में एक पुजारी, पुरोहित भी होता हैं जिसे 'देवार' कहा जाता है। इस प्रकार शोध प्रबन्ध के संन्दर्भ में गोंड जनजातियों की मानसिकता को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और समझने का अवसर मिला इनकी संतोष और जीने–खाने की मानसिकता इन्हें विकास की मुख्यधारा से अलग किये हुए है। यथा लाभ में संतोष की प्रवृत्ति का मिश्रण इनकी जीवन शैली का प्रमुख आधार है। यह भी निष्कर्ष सामने आया है कि जीवनयापन के श्रोत के प्रति इनकी सजगता नगण्य है। कठोर परिश्रम इनकी परंपरा की बेड़ी में बंधा हुआ है। इस परिश्रम के बदले ये अपने लिए बेहतर जीवनशैली के बारे में सोचते भी नहीं हैं। परंपरा और रूढ़ियां इनके जीवन को पृथक नहीं होने दे रही है।

संदर्भिका

1. तिवारी डॉ0 शिव कुमार, *मध्य प्रदेश के आदिवासी,* मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, (मघ्य प्रदेश), पृष्ठ 84
2. मौर्य, डॉ0 एस.डी., *सामाजिक भूगोल,* शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद 2004 पृष्ठ 520
3. तिवारी, डॉ0 एस.के., *मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति,* मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4. मौर्य, डॉ0 एस.डी., *सामाजिक भूगोल* शारदा पुस्तक भवन, 11 यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, 2004 पृष्ठ 521

5- Office of the Registrar Census of India, 2001